



2026:AHC:50130

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट-सी संख्या - 6528/2026

राम प्रसाद

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अदील अहमद खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

संशोधन आवेदन संख्या 2 /2026

1. आदेश दिनांक 18.02.2026 में आवश्यक संशोधन हेतु संशोधन आवेदन दायर किया गया है।
2. आवेदक/याचिकाकर्ता के विधिक सलाहकार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. अभिलेख तथा आदेश दिनांक 18.02.2026 के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में गलत आदेश अंतरलिखित कर दिया गया है। अतः आदेश दिनांक 18.02.2026 को वापस लिया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश

1. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के आलावा, निम्नलिखित राहत हेतु दायर की गई है:-

"1. प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् उप-प्रभागीय अधिकारी, तहसील-सदर, जनपद महाराजगंज को यह निर्देश देने के स्वरूप में एक परमादेश, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह केस संख्या 19310/2024 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या टी202405470119310) (राम प्रसाद बनाम रामनरेश), जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के अधीन, उसके समक्ष लंबित है, का निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई निर्धारित अवधि के भीतर करे।"

2. पक्षों के विधिक सलाहकार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा न्याय के हित में भी, प्रतिवादी संख्या 2/उप-प्रभागीय अधिकारी, तहसील-सदर, जनपद महाराजगंज को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय, जो उसके समक्ष लंबित है, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक तथा यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर करे।

4. उपरोक्त आदेश के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

9 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”